2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

श्रम क्षेत्राधिकार :

संवैधानिक स्थिति :

2.1 भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची में है जहां केन्द्र के लिए आरक्षित कतिपय मामलों के अलावा केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों विधान अधिनियमित करने के लिए सक्षम है ।

बॉक्स 2.1

श्रम क्षेत्राधिकार : संवैधानिक स्थिति

संघ सूची	समवर्ती सूची
प्रविष्टि संख्या 55 : खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियम	प्रविष्टि संख्या 22 : व्यवसाय संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद
प्रविष्टि संख्या 61 : केन्द्रीय कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद	प्रविष्टि संख्या 23 : सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगारी
प्रविष्टि संख्या 65 : "..... व्यावसायिक प्रशिक्षण....... संबंधी" केन्द्रीय एजेंसियां और संस्थान	प्रविष्टि संख्या 24 : श्रमिकों का कल्याण जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि, नियोजकों के दायित्व, कर्मकारों को मुआवजा, अक्षमता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल है ।

<u>कार्यपालक</u>

2.2 डॉ. साहिब सिंह वर्मा ने 1.7.2002 को श्रम मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। श्री शरद यादव ने श्रम मंत्री के रूप में 1.7.2002 को अपना पद छोड़ा । श्री विजय गोयल ने 29.1.2003 को श्रम व रोजगार राज्य मंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया और 24.05.03 को अपना पद छोड़ा। श्री संतोष गंगवार ने 24.05.2003 को श्रम व संसदीय राज्य कार्य मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और 31.08.2003 को अपना पद छोड़ा। डॉ. पी.डी. शेनॉय, आई. ए. एस.(कर्ना. : 67) सचिव के पद पर बने रहे । श्री बालेश्वर राय, आई ए एस (अगमू:70) ने 4.2.2000 पूर्वाह्न से अपर सचिव (श्रम) का पदभार ग्रहण किया। डॉ. जी.एस. राम, आई.इ. एस, श्रम व रोजगार सलाहकार 31.07.2003 को सेवानिवृत्त हो गए । श्री अशोक साहू (आई.ए.एस.) ने 28.11.2003 को श्रम एवं रोजगार सलाहकार का पद ग्रहण किया। श्री डी.एस. पुनिया आई.ए.एस. (एम.टी.:78) ने 26.12.2002 को संयुक्त सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। श्री

मनोहर लाल, आई.ए.एस. (राज. : 77); श्री के. चन्द्रमौली, आई. ए. एस. (उ.प्र. 75) और श्री जे.पी. पति, सी. एस. एस. मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर बने रहे। श्रीमती आशा मूर्ति, आई.ए.एस. (आ.प्र. : 74) महानिदेशक (रोजगार और प्रशिक्षण) के पद पर बनी रहीं और श्री एस.के. मुखोपाध्याय, सी. एल. एस., मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पद पर बने रहे ।

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.3 मंत्रालय के चार सम्बद्ध और दस अधीनस्थ कार्यालय, चार स्वायत्त शासी निकाय, उन्नीस न्यायनिर्णयन निकाय और एक विवाचन निकाय (बॉक्स 2.2) हैं । मंत्रालय और इन कार्यालयों के मुख्य कार्यों का उल्लेख बॉक्स 2.3 में किया गया है।

बॉक्स 2.2

श्रम मंत्रालय के अधीन कार्यालयों की सूची

सम्बद्ध कार्यालय :

- रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
- मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, नई दिल्ली ।
- श्रम ब्यूरो, शिमला तथा चण्डीगढ़ ।
- कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई ।

अधीनस्थ कार्यालय :

- खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद ।
- कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा, मुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, जबलपुर, करमा, झारखंड तथा नागपुर ।
- उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोचिन, चंडीगढ़, त्रिवेन्द्रम, कोलकाता, हैदराबाद ।

न्यायनिर्णयन निकाय :

- केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 1 और 2 धनबाद (झारखंड) ; संख्या 1 और 2 मुंबई, आसनसोल, कोलकाता, जबलपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलौर जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद और भुवनेश्वर ।

विवाचन निकाय

- विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.), नई दिल्ली ।

स्वायत्त संगठन

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली ।
- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) ।
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर ।

बॉक्स 2.3

मुख्य विषय
■ श्रम नीति (मजदूरी नीति सहित) और विधान । ■ श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण । ■ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा । ■ महिला एवं बाल श्रमिक जैसे विशेष लक्ष्य समूहों से संबंधित नीति । ■ औद्योगिक संबंध तथा केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन । ■ केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों के माध्य में से औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णयन । ■ श्रमिक शिक्षा । ■ श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी । ■ विदशों में रोजगार के लिए श्रमिकों का उत्प्रवास । ■ रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण । ■ केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन । ■ श्रम और रोजगार मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग । @ कार्य आबंटन नियमों के अनुसार श्रम मंत्रालय को दिए गए विषयों के लिए परिशिष्ट को देखें ।

संबद्ध कार्यालय

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

2.4 यह कार्यालय पूरे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियां, मानक, मानदण्ड और दिशा-निर्देश निर्धारित करने और रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए भी उत्तरदायी है ।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय

2.5 यह कार्यालय (क) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों को रोकने, उनकी जांच करने तथा समझौते कराने ; (ख) पंचाटों तथा करारों के प्रवर्तन, (ग) उन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, (घ) केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का सत्यापन करने ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके ; और (ङ) अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचना के द्वारा न्यूनतम मजदूरी के मंहगाई भत्ता घटक के निर्धारण एवं संशोधन के लिए उत्तरदायी हैं ।

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डी जी फासली)

2.5 यह कार्यालय कारखानों और गोदी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में नीति बनाने से संबंधित है । यह राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन मॉडल नियम बनाने के लिए भी उत्तरदायी है । यह गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रशासन से भी संबंधित है । यह औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, औद्योगिक मनोविज्ञान और औद्योगिक फिजियोलोजी में अनुसंधान करता है । यह मुख्यतः औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल है । यह डिप्लोमा कारखानों में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए एक आवश्यक अर्हता है । कारखाना निरीक्षकों का नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण इस संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यकलाप है ।

श्रम ब्यूरो

2.7 यह कार्यालय रोजगार, मजदूरी, आय, औद्योगिक संबंधों, कामगाज की दशाओं आदि के बारे में सांख्यिकी तथा अन्य सूचना एकत्र तथा प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है । यह औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित और प्रकाशित भी करता है । यह ब्यूरो राज्य/जिला/इकाई स्तरों पर श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम अयोजित करने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता भी देता है ।

अधीनस्थ कार्यालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस)

2.8 इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है । यह खानों और तेल क्षेत्रों पर लागू भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के उपबंधों का प्रवर्तन भी करता है ।

कल्याण आयुक्त

2.9 कल्याण आयुक्तों के नौ कार्यालय, अभ्रक, चूना, पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों और बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है । ये कार्यालय इलाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, जबलपुर, करमा (झारखंड) और नागपुर में स्थित हैं ।

उत्प्रवास संरक्षी

2.10 श्रम मंत्रालय उत्प्रवास अनुमति की प्रक्रिया को लगातार विकेन्द्रीकृत करता रहा है । इस समय, इसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, चंडीगढ़, कोचीन, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम स्थिति आठ उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों (पी ओ ई) के माध्यम से किया जा रहा है ।

स्वायत्त संगठन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी)

2.11 यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा देख-रेख और उपचार की व्यवस्था है । बीमार तथा प्रसूति, रोजगार के दौरान लगी चोट के लिए प्रतिपूर्ति, रोजगार के दौरान लगी चोट आदि के कारण कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए पेंशन के रूप में सहायता दी जाती है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ)

2.12 यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है । इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लाभ के लिए इस संगठन द्वारा

भविष्य निधि योजना, परिवार पेंशन योजना और जमा सहबद्ध योजना का कार्यान्वयन किया जाता है । यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना का कार्यान्वयन किया जाता है । यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है जो 16.11.1995 से आस्तित्व में आयी है ।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

2.13 यह संस्थान एक पंजीकृत संस्था है, जो कार्योन्मुखी अनुसंधान करती है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में निम्नतर स्तर के श्रमिकों को और औद्योगिक संबंधों, कार्मिक प्रबंध, श्रमिक कल्याण आदि से संबंधित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी डब्ल्यू ई)

2.14 यह बोर्ड एक पंजीकृत संस्था है, जो श्रमिकों को व्यापार संघवाद की तकनीकों में प्रशिक्षण देने संबंधी योजनाओं को और श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध कराना भी इस बोर्ड का कार्य है । बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी शुरू किए हैं ।

न्याय निर्णयन निकाय
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय (सी जी आई टी)

2.15 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कुल मिलाकर 22 औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है । ये अधिकरण सं. 1 व 2 धनबाद (झारखंड), सं. 1 व 2 मुम्बई, आसनसोल, कोलकाता, जबलपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलौर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, नई दिल्ली (अतिरिक्त) और चंडीगढ़ (अतिरिक्त) में स्थित हैं ।

विवाचन निकाय
विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.)

2.16 सरकारी कर्मचारी तथा सरकार के मध्य वेतन तथा भत्ते साप्ताहिक कार्य घंटे तथा किसी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अवकाश के संबंध में एवं संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य माध्यस्थम् के अधीन गठित विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.) जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, विवादों के लिए अनिवार्य माध्यस्थम् संस्था है ।

श्रम मंत्रालय में किए जाने वाले मुख्य विषय

2.17 संविधान की संघीय सूची और सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से वांछित शक्तियों के अनुसरण में श्रम मंत्रालय को निम्नलिखित कार्यमदें आबंटित की गई हैं : श्रम नीति (मजदूरी नीति सहित) और विधान, श्रम सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा, महिला, बाल श्रम जैसे विशेष लक्ष्य ग्रुप से संबंधित नीति, औद्योगिक सम्बन्ध और केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन, केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णयन, श्रमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी, विदेशों में रोजगार के लिए श्रम उत्प्रवास, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन, श्रम एवं रोजगार मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस)

2.18 केन्द्रीय श्रम सेवा (के.श्र.से.) का गठन 3 फरवरी, 1987 को बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने, श्रम कानून प्रवर्तन और श्रम कल्याण के उद्देश्य से किया गया था ।

2.19 500 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों और खानों तथा 300 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले बागानों को संगत कानूनों के तहत निर्धारित संख्या में कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होता है । सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (के.) तथा उप श्रम कल्याण आयुक्त (के.), कल्याण आयुक्त (के.) के पर्यवेक्षण में इन सांविधिक कार्यों को करते हैं और वे औद्योगिक संबंधों, सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण आदि के क्षेत्रों में संबद्ध स्थापनाओं के प्रबंधन को सलाह तथा सहायता भी देते हैं ।

2.20 01.04.2003 से 30.09.2003 की अवधि के दौरान इन अधिकारियों ने 21507 शिकायती मामलों को देखा तथा 20817 मामलों का निपटाया। उन्होंने इस प्रकार की शिकायतों को औद्योगिक विवादों में परिणत होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

2.21 इसके अतिरिक्त, सहायक श्रम आयुक्त (के.) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के.), उप मुख्य श्रमायुक्त (के.) के रूप में नियुक्त अधिकारियों और मुख्य श्रमायुक्त (के.) के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र में संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त (के.), को केन्द्रीय क्षेत्र में मधुर औद्योगिक संबंध कायम करने का दायित्व भी सौंपा जाता है । केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारी श्रम मंत्रालय के कल्याण संगठन में महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अधीन सहायक कल्याण आयुक्तों एवं कल्याण आयुक्तों के रूप में बीड़ी, सिने तथा गैर-कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के कामगारों हेतु कल्याण निधियों का संचालन करते हैं ।

कार्य अध्ययन

2.22 प्रशासनिक सुधार लाने, स्टॉफ के स्वरूप को निर्धारित करने और कार्य के समुचित संगठनात्मक ढांचे और तौर-तरीके को तैयार करने के उद्देश्य से आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक ने वर्ष 2003-04 के दौरान श्रम मंत्रालय में विभिन्न कार्यालयों में अनेक

कार्य मापन अध्ययन तौर-तरीका अध्ययन, अभिलेख प्रबंधन अध्ययन और ओ एंड एम निरीक्षण कराये हैं और आगे कराने का प्रस्तव है।

ओ एंड एम बैठक

2.23 डॉ. पी.डी. शेनॉय, श्रम सचिव ने ओ एंड एम बैठकों की अध्यक्षता की। उनके निदेश पर चपरासियों और अन्य समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है ताकि समूह 'घ' कर्मचारियों के बीच व्यावहारिक स्वरूप, कार्य-संस्कृति, कार्यचालन, में सुधार तथा बेहतर अवधारणा विकसित की जा सके । श्रम सचिव ने यह भी निदेश दिया कि आशुलिपिकों के बीच योग्यता, गुणात्मक सचिवालयी सहयोग, सृजनात्मकता और कौशल में सुधार और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का बोध कराने के लिए उच्च आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। समूह "ख" अधिकारियों अर्थात् अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के लिए प्रशिक्षण की प्रणालीबद्ध योजना भी बनाई गई है ।

2.24 श्रम सचिव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बीमा निगम और मंत्रालयों के शिकायत प्रकोष्ठ में सभी लंबित शिकायतों की कड़ाई से मॉनीटरिंग पर जोर दिया तथा इनके तेजी से निपटान हेतु "लोक शिकायत निपटान माह" आयोजित करने पर जोर दिया ताकि स्थिति में पर्याप्त सुधार हो ।

कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में समाविष्ट उपबंधों का क्रियान्वयन

2.25 ओ एंड एम पहलू से अनुभागों/नियमित निरीक्षकों के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण भी किए जाते हैं। ओ एंड एम मामलों विशेषकर, अभिलेख प्रबंधन और सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव से संबंधित मामलों के बारे में क्षेत्र के स्टॉफ को जानकारी को बढ़ाने के लिए इन दौरों के दौरान अभिमुखीकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

अभिलेख प्रबंधन

2.26 अभिलेखों के समुचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने हेतु नियमित अभियान भी चलाए जाते हैं। मंत्रालय में, पिछले वर्ष 1840 फाइलों की रिकार्डिंग की गई 2289 फाइलों की समीक्षा की गई और 775 फाइलों की वीडिंग की गई। यह क्षेत्र इकाइयों में आयोजित अभियानों के अलावा है।

पुरस्कार

2.27 ओ एंड एम क्रियाकलापों में उच्च निष्पादन दर्शाने के लिए अनुभागों को नकद पुरस्कार प्रदान करने की योजना शुरु की गई है और निम्नलिखित अनुभाग सर्वोत्तम अनुभाग, प्रथम और द्वितीय उपविजेता अनुभागों के रूप में रहे हैं।

सर्वोत्तम अनुभाग	**कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण तथा संसद एकक (सी एम टी/संसद एकक)**
प्रथम उप विजेता	प्रशासन-।।।
द्वितीय उपविजेता	आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक (आई डब्ल्यू एस यू)

2.28 सर्वोत्तम संगठित अनुभाग/डेस्क/एकक/प्रकेष्ठ को नकद पुरस्कार और प्रशस्तियाँ के साथ मंत्री जी की ओर से विजेता ट्राफी भी प्रदान की जाएगी। नकद पुरस्कार, निम्नलिखित ब्यौरें के अनुसार इन अनुभागों में कार्यरत कार्य सहायक लिपिक/टंकक और समूह घ कर्मचारी को नकद पुरस्कार दिए जायेंगे :

पद	**सर्वोत्तम**	**द्वितीय सर्वोत्तम/प्रथम उप विजेता**	**तृतीय सर्वोत्तम/द्वितीय उप विजेता**
डेस्क/अनुभाग अधिकारी	1500/- रु.	1000/- रु.	750/- रु.
कार्य सहायक	1000/- रु.	700/- रु.	500/- रु.
लिपिक/टंकक	750/- रु.	500/- रु.	375/- रु.
समूह घ	500/- रु.	350/- रु.	250/- रु.

2.29 सभी स्कन्ध प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने संगठन के अनुरूप विभिन्न पैरामीटरों को परिभाषित करने के पश्चात् इसी प्रकार पुरस्कार/पारितोषिक को अन्तिम रूप देने के लिए स्वायत्तशासी निकायों सहित सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ मामलों को उठाएं तथा संबंधित संगठनों द्वारा उसका समयबद्ध ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि अच्छा कार्य करने वाले के बीच भेद किया जा सके। इस पर भी बल दिया गया कि ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी अपने सहकर्मियों के बीच उत्साह बढ़ाकर कार्यदक्षता उत्पादकता और कार्य संस्कृति के मानकों को बढ़ाने में वास्तव में विश्वास कर सकें।

2.30 उपर्युक्त स्कीम के अलावा कार्यालय पद्धति पुस्तिका में निर्धारित प्रक्रिया जागरूकता के बारे में वार्षिक प्रतिस्पर्धा भी इस मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के बीच आयोजित की जाती है। इस योजना में निम्नलिखित को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था है:

- 1 सहायक +1 उच्च श्रेणी लिपिक प्रत्येक को 500/- रुपए प्रथम पुरस्कार
- 1 सहायक +1उच्च श्रेणी लिपिक प्रत्येक को 300/- रु. के द्वितीय पुरस्कार
- 1सहायक +1 उच्च श्रेणी लिपिक प्रत्येक को 200/- रु. तृतीय पुरस्कार

- अवर श्रेणी लिपिकों के मामले में , प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः 300/- रु., 200/- रु. और 100/- रु.

परामर्शदात्री समिति की बैठक

2.31 परामर्शदात्री समिति की पांच बैठकें क्रमशः 30.04.2003, 30.06.2003, 13.08.2003, 07.11.2003 और 19.12.2003 को आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों से संबंधित हैं:

- पहले से ही दायरे में लिए गए मुद्दों अर्थात् असंगठित श्रम के अलावा राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट
- बाल श्रम का उन्मूलन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं
- व्यावहारिक कैशल एवं प्रशिक्षण के लिए कार्यनीतियाँ ।
- असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम

कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण (सी एम टी)

2.32 कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण का मुख्य कार्य अवर श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों आदि के लिए विकेन्द्रीकृत आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। यह श्रम मंत्रालय और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में नामित करना है।

2.33 अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 की अवधि के दौरान 125 अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया है।

2.34 गुणवत्तायुक्त सचिवालयी सपोर्ट निर्माण के उद्देश्य से, मंत्रालय के सचिवालीय स्टाफ के निगमित प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शुरु कर दी गई हैं और इस श्रृंखला में प्रथम पाठ्यक्रम जून, 2003 में नाटरस, जनकपुरी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया तथा मंत्रालय के 15 कार्मिकों के बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों की क्षमता निखार में और उनके ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन बनाने में मदद मिली है।

2.35 मंत्रालय के समूह घ के स्टाफ को उनके कामकाजी कौशल में सुधार लाने और अधिक सीखने के प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु भी कदम उठाए गए । यह कार्यक्रम इस दृष्टि से अद्वितीय था कि सामान्य तौर पर इस स्टाफ सदस्यों को इनके कैरियर के किसी चरण में प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम नहीं कराया जाता है। ऐसा एक पाठ्यक्रम निगमित प्रशिक्षकों के माध्यम से 1-5 सितम्बर, 2007 तक मंत्रालय में पहली बार आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम सफल रहा क्यों कि इसमें अनेक लोगों ने भाग लिया और मुख्य विचार-विमर्श किया। इस श्रृंखला का दूसरा पाठ्यक्रम 15-19 मार्च, 2004 तक आयोजित किया गया । कंम्प्यूटर प्रशिक्षण के तीसरे चरण में श्रम मंत्रालय के 60 कार्मिकों को मैसर्स एपटेक लिमिटेड के कारपोरेट प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया ।

वित्त स्कंध

2.36 वित्त स्कंध मुख्यतः सभी प्लान स्कीमों की जांच करने व समस्त वित्तीय व सम्बद्ध प्रस्तावों पर सलाह प्रदान करने, मंत्रालय मुख्यालय और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सेवाओं के लिए बजट और संशोधित अनुमान तैयार करने, निष्पादन बजट, व्यय नियंत्रण और वित्तीय समीक्षा, कार्य आकलन अध्ययन, आन्तरिक लेखा परीक्षा आदि के लिए जिम्मेदार है । लेखा-जोखा प्रभाग का मुखिया लेखा नियंत्रक है जो रोकड़ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है ।

2.37 एकीकृत वित्त प्रभाग के महत्वपूर्ण कार्य का क्रियाकलाप निम्नवत् हैं :-

- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले समस्त विषयों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह प्रदान करना ;
- ऐसे समस्त व्यय प्रस्तावों की छानबीन करना जिन्हें सहमति या टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है ;
- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी पूरी तरह पड़ताल करना ;
- यह देखना कि सम्पूर्ण विभागीय लेखा-जोखा को सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार रखा जाता है ;
- स्कीमों और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के निर्माण के साथ शुरूआती अवस्था से घनिष्ठ सम्बद्धता बनाए रखना ;
- लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा-परीक्षा पैरों आदि के निपटान की निगरानी करना ;
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों और विनियोजन लेखों, रिपोर्टों, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना ।

2.38 वर्ष 2003-2004 के दौरान, समस्त बजट और लेखा संबंधी विषयों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया गया । प्रस्तावों की सम्यक रूप से विविक्षा करके, यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय बजटीय विनियोजन, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाए और इसे मितव्ययिता, दक्षता और उन स्कीमों/कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए जिनके संबंध में उसे उपगत किया गया था ।

हिन्दी का उत्तरोतर प्रयोग

2.39 श्रम मंत्रालय ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों/नियमों और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग को भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे संसद में रखे जाने वाले कागजात, श्रम अधिनियमों और विधानों, श्रम मंत्री जी का भाषण, प्रेस विज्ञप्ति, और मंत्रालय के नेमी कार्य के अनुवाद का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2.40 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष के दौरान दो बैठकें केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गईं । इन बैठकों के कार्यवृत्त आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे गए और इस संबंध में की गई कार्रवाई को संयुक्त निदेशक (राजभाषा) द्वारा नियमित रूप से मानीटर किया गया ।

2.41 इस वर्ष श्रम मंत्रालय द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में अच्छा कार्य करने के लिए राजभाषा विभाग के इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार में तीसरा पुरस्कार दिया गया । सचिव (श्रम) ने यह पुरस्कार 14 सितम्बर, 2003 को विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के कर-कमलों से ग्रहण किया ।

2.42 इस वर्ष सितम्बर, 2003 को मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए *हिन्दी माह* के रूप में मनाया गया । इस अवसर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी से जुड़ी दस प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले व्यक्तियों को 8.12.03 को आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा एक प्रमाण-पत्र के साथ क्रमशः 1200/- रु. 1100/- रु. और 1000/-रु. के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

2.43 सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय की ओर से एक मासिक हिन्दी पत्रिका **श्रम समाचार** शुरू की गई है। यह पत्रिका श्रमजीवी वर्ग से संबंधित अनेक लेखों और सूचनाप्रद गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण संकलन है तथा श्रमजीवी वर्ग के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका के रूप में अपना व्यापक आधार बनाने में सफल हुई है।

2.44 हिन्दी प्रभाग में सम्पूर्ण हिन्दी कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। हिन्दी प्रभाग के दो आशुलिपिक और दो लिपिक कम्प्यूटर पर काम कर रहे हैं। कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन पर्चियॉ और भविष्य निधि विवरणियां हिन्दी में ही दी जा रही हैं ।

2.45 मंत्रालय के सोलह अनुभागों को अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के आठ विभिन्न अनुभागों से संबंधित 24 विषयों को भी अधिसूचित किया गया है ताकि इन विषयों से संबंधित कार्य केवल हिन्दी में किया जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंधीन सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए । श्रम मंत्रालय, सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है और इस उद्देश्य की पूर्ति के प्रति समर्पित है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एन ए जी) की रिपोर्ट की टिप्पणी पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

2.46 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2003 की रिपोर्ट सं. 4 में पैरा-6 में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त की गई परिसम्पत्तियों के निपटान के अनियमितताओं का उल्लेख किया है । रिपोर्ट के संगतसार संग्रह परिशिष्ट II में दिए गए हैं ।

2.47 सरकार ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है और यदि आवश्यक हुआ तो दोषियों के खिलाफ संगत सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।